REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 3 | DECEMBER - 2018

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में सामाजिक अंकेक्षण की भूमिका – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

अश्वनी कुमार झा
शोधार्थी
विषय :– वाणिज्य
वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग ,
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा.

भूमिका

भारत की जनसंख्या का 39 बच्चेः हैं (जनगणना, 2011)। भारतीय संविधान बच्चों की सुरक्षा और कल्याण को उच्च वरीयता देता है। हमारे देश के नीति निर्माताओं द्वारा व्यापक रूप से यह स्वीकार किया गया है कि बच्चों की उत्तरजीविता, शिक्षा, उनके संरक्षण और समग्र कल्याण के लिए किया गया निवेश गरीबी के अंतरपीढ़ीय चक्र को तोड़ने और देश के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में सहायता करता है। भारत जैसे विशाल देश में, बच्चे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा एवं बाल संरक्षण सेवाओं के मामले में विभिन्न संवेदनशीलताओं का साझा करते हैं। तथापि, प्रत्येक दिन नई चुनौतियों जैसे कि बच्चों का ऑनलाइन शोषण, जलवायु परिवर्तन और मानवीय एवं प्राकृतिक आपदाएं उभरकर आ रही हैं जो बच्चों की संवेदनशीलताओं में वृद्धि करती हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं।

बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु महात्मा गाँधी के 106वीं जन्म दिवस पर 2 अक्टुबर 1975 से बिहार प्रदेश में समेंकित बाल विकास कार्यक्रम संचालित है। समेकित सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु मुख्य केन्द्र बिन्दु 'आँगनबाड़ी केन्द्र' के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेयता तथा संवेदनशीलता लाने में सामाजिक अंकेक्षण प्रभावकारी सिद्ध हो सकती है। सामान्य जन की सहभागिता सुनिश्चित करने एवं सरकार के कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य हेतु समुदाय के द्वारा आई.सी.डी.एस. संचालित योजनाओं का अंकेखण 'सामाजिक अंकेक्षण समिति' के माध्यम से प्रत्येक केन्द्र पर वर्ष में दो बार 20 जून एवं 20 दिसम्बर को किया जाता है। वर्त्तमान अध्ययन में आई.सी.डी.एस. के क्रियान्वयन में सामाजिक अंकेक्षण की भूमिका को रेखांकित किया गया है। बिहार राज्य के मधुबनी जिले का सन्दर्भ लिया गया है।

समेकित बाल विकास सेवा : एक अवलोकन

समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई. सी. डी. एस.) विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अधिक प्रशंसनीय विकास कार्यक्रम है। यह स्कूल पूर्व अवस्था के बच्चों और उनकी माताओं के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा अवरों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए पूर्ण योजना है। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार के अधिन एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी प्रकार के प्रशासनिक व्यवहार भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा मिलकर वहन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं का मुख्य उद्देश्य है :

1. 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना,
2. बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना,
3. बाल मृत्यु, रूग्णता, कुपोषण तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी करना,
4. बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सम्बन्धित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना तथा
5. पोषाहार–स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माताओं को प्रशिक्षित करना है।

आई. सी. डी. एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों एवं माताओं को समेकित सुविधाएँ हेतु गाँवों/टोलों/ झुग्गी झोपड़ियों मं आँगनबाड़ी कन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों के माध्यम 0–6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों गर्भवती व दूध पिलानेवाली माताओं तथा अन्य किशोरियों को स्वास्थ्य, पोषण तथा संबद्ध सेवाएँ प्रदान की जाती है।

आई. सी.डी.एस. के लाभार्थी में

I. तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चे,
II. 3–6 वर्ष के बच्चे,
III. गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएँ,
IV. 15–45 वर्ष की अन्य महिलाएँ तथा
V. 11–18 वर्ष की किशोरियां शामिल हैं।

सामान्यतया इन आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम

- पूरक पोषाहार
- टीकाकरण
- स्वास्थ्य जाँच
- अनौपचारिकशाला पूर्व शिक्षा
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा
- अनौपचारिक शिक्षा तथा गृह आधारित कुशलता प्रशिक्षण सेवाओं की सुविधा प्राप्त होती है।

परियोजना विकास की उद्देश्य : समेकित बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) नीति संरचना, प्रणाली और क्षमताओं का सुदृढ़िकरण और 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करना तथा बेहतर पोषाहारीय परिणामों के लिए ठोस संकेन्द्रित कार्रवाई करना है। पुनर्गठित आईएसएसएनआईपी, संवितरण संबद्ध संसूचकों (डीएलआई) के माध्यम से परिणामधारित वित्तपोषण का अभिप्राय, इस परियोजना में संदर्भित परियोजना को पूर्व–सहमत परिणामों से जोड़ना है जो पूर्व परिभाषित निष्पादन संसूचक के माध्यम से संवितरण संबद्ध संसूचकों (डीएलआइ) की परिभाषा आरंभ में दी जा चुकी है। आईडीए के ये संवितरण, पूर्णतया विभिन्न डीएलआई लक्ष्यों की प्राप्ति तथा डीएलआई परियोजना के सत्यापन प्रोटोकोल में वर्णित मानकों के आधार पर तीसरे पक्ष द्वारा लक्ष्यों/उपलब्धियों की जांच पर निर्भर करते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के केन्द्रीय परियोजना प्रबंधन युनिट परियोजना (सीपीएमयू) का मार्गदर्शन करता है जो राज्य स्तर पर आईसीडीएस या समाज कल्याण विभाग के विभागों के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। आईएसएसएनआईपी वाले राज्यों की परियोजनाओं में कार्यान्वयन की सुविधा के लिए एमडब्ल्यूसीडी ने प्रचालक मैनुअल और प्रशासकीय अनुमोदन व दिशानिर्देश जिनमें डीएलआई लक्ष्यों के लिए संवितरण संबद्ध संसूचक,

केन्द्र–राज्यीय विस्तृत सत्यापन, प्रोटोकोल, परिणाम, ढांचा और लेखा परिक्षण सहित न्यायिक प्रबंधन का उल्लेख किया गया है, जारी किया है।

मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण

आईसीडीएस एमआईएस के सुधार के अतिरिक्त मॉनीटरिंग करने और क्षेत्रीय निरीक्षण/पर्यवेक्षण दौरों को मानक रूप दिया गया है तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों की गतिविधियों को मॉनीटर करने में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भूमिका के साथ आईसीडीएस स्कीम में सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर न्यूनतम दौरे निर्धारित किए गए हैं। राज्य तथा केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण/पर्यवेक्षण दौरे के दौरान मॉनीटर/पर्यवेक्षण किये जाने वाले अनेक पहलुओं की जांच–सूची उनक मार्गदर्शन हेतु दी जाती है।

आईसीडीएस की सेवाओं की प्रदायगी में बेहतर गुणवत्तर पर जोर देते हुए तथा प्रस्तावित सशक्तिकरण और पुनःसंरचना के व्यापक संदर्भ में मॉनीटरिंग प्रणाली को युक्तियुक्त एवं अनुरूप बनाने के लिए लाइन विभागों के साथ समन्वय और संकेन्द्रीकरण हेतु 5 स्तरीय मॉनीटरिंग और केन्द्रीय स्तर पर आंगनवाड़ी स्तरों तक समीक्षा पद्धति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। पद्धति को सहभागितापूर्ण तथा पारदर्शी बनाने के लिए लोक प्रतिनिधि (सांसद/विधायक/पंचायती राज संस्थाओं) को भी मॉनीटरिंग समितियों में शामिल किया गया है।

बालोन्मुख बजट आयोजन

जन सामान्य के विकास से संबंधित सार्वजनिक व्यय से बच्चों को भी कुछ लाभ प्राप्त होने की आशा की जा सकती है। तथापि, चूंकि बच्चे भारतीय समाज का सबसे बड़ा वंचित वर्ग है, इसलिए सार्वजनिक व्यय के उस अनुपात को अभिनिर्धारित किया जाना बेहद जरूरी है निससे विविध रूप से उनकी जरूरतें पूरी की जाती है। इस प्रायोजनार्थ बच्चों की जरूरतें पूरी करने वाली स्कीमों को अन्य विकास स्कीमों से अलग दर्शाए जाने की जरूरत है। बालोन्मुखी स्कीमों पर बजट परिव्यय की कुल मात्रा को 'बालोन्मुख बजट' कहा जाता है। इस प्रकार 'बालोन्मुख बजट' कोई अलग बजट न होकर कुल सरकारी बजट का ही एक भाग है। बालोन्मुख बजट आयोजन का राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2016 के मानीटरी एवं मूल्यांकन ढ़ांचे में शामिल किया गया है।

वर्ष 2008–09 के केन्द्रीय बजट में 'बालोन्मुख बजट आयोजना' विवरण (अर्थात बच्चों के कल्याण के लिए स्कीमों के लिए बजट प्रावधान, विवरण 22, व्यय बजट वाल्यूम–1 केन्द्रीय बजट 2008–09) अरंभ किया गया था। इस विवरण के बाद के केन्द्रीय बजटों में भी दर्शाया गया और इस विवरण में केन्द्रीय बजट की सभी बालोन्मुखी स्कीमें शामिल की गई। वर्ष 2008–09 में जब बजट में 'बालोन्मुख बजट आयोजना' विवरण आरम्भ किय गया, तब बालोन्मुख स्कीमों संबंधी 'अनुदान मांगों' में महिला एवं बाल विकास, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, श्रम और रोजगार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय मामले, अल्पसंख्यक मामले तथा युवा मामले और खेल मंत्रालयों की अनुदान मांगों को शामिल किया गया था। 'बालोन्मुख बजट आयोजना' विवरण अब 18 'अनुदानों की मांग' शामिल की गई है (अन्य के साथ–साथ परमाणु ऊर्जा, औद्योगिक नीति और प्रोन्नति, डाक, दूरसंचार तथा सूचना और प्रसारण के केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों सहित) और इस प्रकार 2008–09 में प्रारम्भिक आठ 'अनुदानों मांगें' की तुलना में भारी वृद्धि हुई है।

निम्न चार्ट 1 सकल केन्द्रीय बजट के प्रतिशत के रूप में बाल–विशिष्ट स्कीमों का समग्र परिव्यय प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1: कुल संघीय बजट की प्रतिशतता के रूप में बाल विशिष्ट स्कीम के लिए कुल परिव्यय

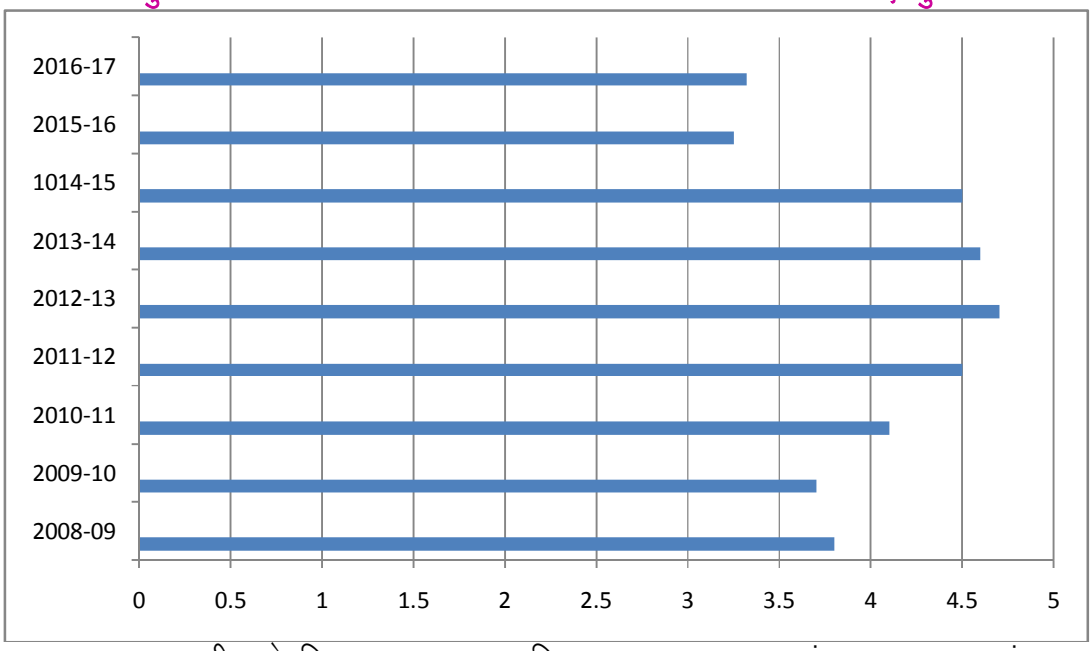

स्त्रोतः– बाल कल्याण स्कीम के लिए बजट प्रावधान, विवरण 22, व्यय बजट खंड , 2011–10, संघ का बजट, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 201–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, और 2016–17 भारत सरकार

सामाजिक अंकेक्षण की भूमिका

सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय स्तर पर होनेवाले कार्यक्रमों/परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समय–समय पर गुणात्मक/मात्रात्मक समीक्षा समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है। इसके साथ ही स्थिति के अवलोकन के पश्चात् स्थिति को सुधारने के लिए संबंधित विभाग/संस्था के साथ मिलकर योजना बनाई जाती है।

बिहार सरकार द्वारा समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आँगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के सहयोग से दी जानेवाली सेवाओं (पूरक पोषक आहार, शालापूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भ सेवाएद्द, टीकाकरण तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा) में समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय लिया गया है। **सामाजिक अंकेक्षण** का अभिप्राय केवल जाँच नहीं बल्कि समुदाय की सहभागिता है।

सामाजिक अंकेक्षण समुदाय सशक्तिकरण का प्रभावशाली माध्यम हो सकता है। योजना के संबंध में स्थानीय लोगों को पूर्ण जानकारी है अथवा नहीं, योजना का कार्यान्वयन नियमानुसार किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी समीक्षा सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से कराकर इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि आँगनवाड़ी केन्द्र के सुचारू रूप से संचालन में कौन–कौन सी कमियां हैं, उसमें सुधार की क्या–क्या आवश्यकताएँ हैं एवं समस्याओं का निराकरण किस प्रकार ससमय हो सके।

समेकित बाल विकास सेवा योजना के लाभार्थियों के सहयोग से यदि समुदाय स्वयं इस योजना का अंकेक्षण करती हैं तो यह एक स्वस्थ्य प्रक्रिया होगी जिससे समुदाय सशक्त होगा और सामान्य जन की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य

- आई. सी. डी. एस. प्रदत्त सेवाओं की जानकारी प्राप्त करना,
- सेविका द्वारा किए जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता लाना,
- आँगनवाड़ी केन्द्रों का सुचारू रूप से संचालन करना तथा
- समुदाय की सहभागिता द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्रों से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना है।

समाजिक अंकेक्षण समिति का गठन

समेकित बाल विकास सेवा योजनाओं में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से आँगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण समिति का गठन किया गया है। आँगनवाड़ी केन्द्रों पर मिलने वाली सेवाओं का सामाजिक अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष द्वारा संचालित किए जाने का प्रावधान है। इसका स्थान संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र अथवा कोई सार्वजनिक स्थल होता है।

सामाजिक अंकेक्षण समिति की संरचना

वार्ड सदस्य/वार्ड आयुक्त	– अध्यक्ष
पंचायत सचिव/विकास मित्र	– सदस्य
योग्य महिला लाभार्थी के दो सदस्य (रोटेशन के अनुसार) (जो कम 7वीं उत्तीर्ण हो)	– सदस्य
आशा कार्यकर्त्ता/एएन.एम.	– सदस्य
समुदाय आधारित संस्था (स्वयं सहायता समूह)	– सदस्य
समुदाय (शिक्षक/सेवानिवृत सरकारी कर्मी/आँगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों के अभिभावक – कुल – 4 (क) 2– अभिभावक जिसमें एक महिला हो (ख) 2– शिक्षक/सेवानिवृत सरकारी कर्मी	
किशोरी/सखी (सबला कार्यक्रम के तहत)	– सदस्य
अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के दो सदस्य – कम से कम एक महिला हो	– सदस्य
महिला पर्यवेक्षिका	– सदस्य
सेविका	– संयोजक

सामाजिक अंकेक्षण हेतु विचारणी बिन्दुः–

- आँगनवाड़ी विकास समिति की सहभागिता।
- आँगनवाड़ी केन्द्र संचालन में नियमितता।
- बच्चों की उपस्थिति की समीक्षा।
- माह में कम से कम 25 दिनों तक लाभार्थियों को पूरक पोषाहार/टीएचआर की आपूर्ति की समीक्षा।
- बच्चों का टीकाकरण एवं पोषण की स्थिति की समीक्षा।
- कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की समीक्षा
- स्कूल पूर्व शिक्षा की क्रियाशीलता की समीक्षा।

- बाल कुपोषण युक्त बिहार से संबंधित सामग्रियों की उपलब्धता एवं उनका उपयोग
- आँगनवाड़ी केन्द्रों पर स्थापित नियमों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा। आधारभूत संरचना – स्वच्छ पेयजल, शौचालय खोलने की जगह, स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स, म्ब्ब् पाठ्य सामग्री, मेडिसिन किट्स, खाना बनाना एवं खाने हेतु बर्तन आदि।

सामाजिक अंकेक्षण समिति हेतु चेक लिस्ट

1. आँगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन के समय नियमानुसार की जा रही है अथवा नहीं की समीक्षा।
2. बच्चों के उपस्थिति पंजी की समीक्षा।
3. एक माह में कम से कम 25 दिनों तक सभी लाभार्थियों को पूरक पोषाहार/टी.एच.आर. एवं आवश्यक दवाओं की आपूर्ति पंजी की समीक्षा।
4. केन्द्रों के आय व्यय की विवरणी की समीक्षा।
5. वितरण एवं भंडार पंजी की समीक्षा।
6. 0–3 वर्ष एवं 3–6 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण पंजी की समीक्षा।
7. पेषण की स्थिति, वनज,ॅभ्द मानक के अनुसार नये ग्रोथ चार्ट की उपलब्धता, भरा हुआ ग्रोथ चार्ट, कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों की संख्या एवं उनके पोषण स्तर में सुधार हेतु उठाये गये कदम।
8. अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा की क्रियाशीलता तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध शिक्षा एवं खेल सामग्री की उपलब्धता एवं उपयोग की समीक्षा।
9. आँगनवाड़ी केन्द्रों पर स्थापित नियमों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं (आधारभूत संरचना – स्वच्छ पेयजल, शौचालय खोलने की जगह, स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स, मेडिसिन किट्स, खाना बनाने एवं खाने हेतु बर्त्तन आदि सहित) की समीक्षा।
10. आँगनवाड़ी सेविका के कार्यों की समीक्षा।
11. आँगनवाड़ी विकास समिति के सदस्यों के चयन से संबंधित विहित प्रक्रिया अपनाने जाने की समीक्षा।
12. कार्यवाही पंजी सभा के अंत में पढ़ा जाना है।

सामान्य जन की सहभागिता सुनिश्चित करने एवं सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु समुदाय द्वारा स्वयं आई.सी.डी.एस. से संचालित योजनओं का अंकेक्षण 'सामाजिक अंकेक्षण समिति' के माध्यम से प्रत्येक कन्द्र पर वर्ष में दो बार 20 जून एवं 20 दिसम्बर को किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण में समुदाय की भागीदारी जिससे सुदृढ़ हो अपना आँगनवाड़ी – यही ध्येय है।

निष्कर्ष

सामजिक अंकेक्षण से संबंधित व्यक्तियों, वर्गों को एक मंच उपलब्ध होता है जहाँ से स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यक तत्व सुशासन की राह निकलती है। यह सामाजिक स्तर पर शक्तिहीन एवं उपेक्षित व्यक्ति व समूह को सशक्तिकरण प्रदान करता है। सामाजिक अंकेक्षण लोक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेयता तथा संवेदनशलीता लाने का प्रभावी पद्धति है। यह वह आधुनिक अवधारणा है जो जनता द्वारा सरकार द्वारा किए गए व्यय का हिसाब–किताब माँगने के साथ उसकी उपादेयता एवं प्रभाव का समग्र विश्लेषण करती है। सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से प्रशासनिक तंत्र के निर्णय और नीतिगत निर्णय में जनसहभागिता को प्रवेश मिलती है। प्रमुख रूप से सामाजिक अंकेक्षण में स्थानीय विकास को अंकेक्षण का मुद्दा बनाया जाता है अर्थात् इसकी प्रक्रिया एवं प्रविधि स्थानीय संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है।

सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसी सामयिक प्रवृत्ति व प्रणाली है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुशासन को स्थापित करने पर केन्द्रित है। इसके क्रियान्वयन से निम्नलिखित उद्देश्य की प्राप्ति संभव है :–

1. स्थानीय विकास की मूलभूत आवश्यकता तथा उपलब्ध संसाधन के भौतिक एवं वित्तीय असंतुलन का अनुमान लगाना,
2. स्थानीय सामाजिक एवं उत्पादन सेवा प्रदाता एवं लाभार्थी के बीच चेतना जागृत करना,
3. स्थानीय विकास कार्यक्रमों की प्रभावकारिता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि करना,
4. योजना व कार्यक्रम से संबद्ध व्यक्तियों विशेषतः निर्धन व्यक्तियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए नीतिगत निर्णय करना,
5. जन सुविधा लाभ विहीन व्यक्ति के लिए अवसर लागत का अनुमान लगाना,
6. सेवा प्रदाता या विकासकर्ता तंत्र में पारदर्शिता जवाबदेयता लाना,
7. लोकतांत्रिक एवं सुशासन के मूल्यों की स्थापना करना, इत्यादि।

अतः ICDS सदृश्य जनोपयोगी कार्यक्रम हेतु सामाजिक अंकेक्षण एक आवश्यक एवं मूलभूत आवश्यकता है इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

सन्दर्भ :

1. भारत सरकार द्वारा जारी जनगणन 2011 के आंकड़े – www.censusofindia.com
2. वार्षिक रिपोर्ट 2016–17, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ 55
3. वही
4. वार्षिक रिपोर्ट 2016–17, पूर्व सन्दर्भित, पृष्ठ 42–44
5. वार्षिक रिपोर्ट 2016–17, पूर्व सन्दर्भित, पृष्ठ 224
6. वही, पृष्ठ 47–51
7. समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय, बिहार सरकार की वेबसाइट – www.icdsbih.gov.in
8. वहीं